मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या –88 / 2012
GCMS No. –2016 / 00318

1. रामलाल पिता श्री मोतीलाल जी जाति कीर निवासी कीरपुरा (नवलपुरा) तह०जावद जिला नीमच म०प्र० — वादी

बनाम

1. श्रीमती डालीबाई पुत्री मोतीलाल पत्नी रामचन्द्र जी जाति कीर निवासी कीरपुरा (नवलपुरा) तह०जावद जिला नीमच म०प्र०
2. मु० गंगाबाई बेवा श्री मोतीलाल जी जाति कीर निवासी कीरपुरा (नवलपुरा) तह०जावद जिला नीमच म०प्र० (मृत्यु होने से न्यायालय के आदेश से नाम विलोपित किया गया)
3. मु०सुगनाबाई पत्नी रामलाल जाति कीर निवासी कीरपुरा (नवलपुरा) तह०जावद जिला नीमच म०प्र०
4. राज० सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार पदेन उपपंजीयक महोदय, निम्बाहेडा (राज०)

– प्रतिवादीगण

वाद तहत धारा 88,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण आज दिनांक को वादी के अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल धाकड की उपस्थिति में अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता कि वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है तथा वादीका वाद कतई डिक्री किया जाता है की मोजा केली प0ह0 केली की आराजी नं0 970 रकबा 4 बिघा 6 बिस्वा (जिसके वर्तमान नये आ0नं0 1389 रकबा 1.0900 हेक्टैयर) सम्पूर्ण व चाह नं0 2061/970 रकबा 2 बिस्वा (जिसके नवीन आ0नं0 1390 रकबा 0.0300 हेक्टैयर) में 1/3 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेखो में वादी का नाम अमल दरामद करने हेतू एवं खाते से प्रतिवादी सं0 1 डालीबाई व मृतक प्रतिवादी सं0 2 गंगाबाई का नाम विलोपित किये जाने हेतू निर्णय पारित किया जाता है और प्रतिवादी सं0 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता हैं कि वो वादी को वाद पत्र की चरण सं0 1 में अंकित आ0नं0 970 रकबा 4 बिघा 6 बिस्वा (जिसके वर्तमान नये आ0नं0 1389 रकबा 1.0900 हेक्टैयर) सम्पूर्ण व चाह नं0 2061/970 रकबा 2 बिस्वा (जिसके नवीन आ0नं0 1390 रकबा 0.0300 हेक्टैयर) में 1/3 हिस्सा किसी प्रकार से रहन, बय, बक्षीश या अन्य तौर से खुर्द बुर्द हस्तांतरण नहीं करें न करावें व इस आराजी के संबंध में किसी भी प्रकार के हस्तांतरण विलेख, रहन, विक्रय, बक्षीश आदि दस्तावेज का पंजीयन प्रतिवादी सं0 4 के समक्ष नहीं करें न करावे एवं मौके कब्जे व रेकार्ड की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करें न करावें एवं ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे वादी के हक अधिकार प्रभावित हो। दौराने वाद प्रस्तुत रेकार्ड अनुसार वादी का वाद निर्णित किया जाकर तहसीलदार, निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि मोजा केली प0ह0 केली की आराजी नं0 970 रकबा 4 बिघा 6 बिस्वा (जिसके वर्तमान नये आ0नं0 1389 रकबा

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner

1.0900 हेक्टैयर) सम्पूर्ण व चाह नं0 2061/970 रकबा 2 बिस्वा (जिसके नवीन आ0नं0 1390 रकबा 0.0300 हेक्टैयर) में 1/3 हिस्सा वादी के नाम राजस्व अभिलेखो में अमल दरामद करें एवं खाते से प्रतिवादी सं0 1 डालीबाई व मृतक प्रतिवादी सं0 2 गंगाबाई का नाम विलोपित करें। खर्चा वादी अपना स्वयं वहन करेंगा।

यह आज दिनांक 04.09.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा-जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner